न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.264 / प्रा.पत्र / 2018 (GCMS No. 2018 / 00649)	15.10.2018	20.10.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल आ. रामचन्द्र जाति रेगर,
निवासी ग्राम जावटीकलां,
तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री रमेश जैन, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी श्री भंवरलाल आ. रामचन्द्र जाति रेगर, निवासी ग्राम जावटीकलां, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 104 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम जावटीकलां, आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1999 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर; बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी आवंटी को दिनांक 11.06.1999 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है, भूमि में कोई सुधार नहीं किया। उक्त आराजी पड़त है। जिससे आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रा.पत्रस्वीकार कर आवंटन निरस्त कियाजाकर भूमि सिवायचक की जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि बाबत आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई है। अप्रार्थी उक्त आराजी पर गैर खातेदार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका है। आंवटन को 20 वर्ष से अधिक अवधि गुजर चुकी है। आवंटन से लेकर अब तक आवंटी अप्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त है। ऐसे में गलत तथ्यों के आधार पर काफी विलम्ब से पेश किया गया प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी भंवरलाल आ. रामचन्द्र जाति रेगर निवासी ग्राम जावटीकलां, तहसील बून्दी को मिसल संख्या 13/1999 पर दिनांक 11.06.1999 को भूमि खसरा संख्या 104 रकबा 5 बीघा वाकेग्राम जावटीकलां का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विकय) नियम,1957 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर आरक्षित मूल्य जमा करवाये जाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध इस न्यायालय द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 14/मुत./2011 बउनवान कालू, धनराज जाति नायक बनाम भंवरलाल आ.रामचन्द्र रेगर वगै. में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से प्रकट है कि उक्त आवंटन के विरूद्ध अपूर्व में ही इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाकर कार्यवाही इस न्यायालय के श्रवणाधिकार में नहीं होने से खारिज की जा चुकी है। इस प्रकार हस्तगत आवंटन के विरूद्ध न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णय पारित कर दिये जाने से उक्त भूमि बाबत अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आंवटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती हेतु पुनः कार्यवाही पेश किया जाना नियमान्तर्गत नहीं है, जो खारिज किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 20.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(आशीष गुप्ता)
जिला कलेक्टर; बून्दी